Inspira- Journal of Modern Management & Entrepreneurship (JMME)
ISSN : 2231–167X, General Impact Factor : 2.5442, Volume 08, No. 02, April, 2018, pp. 486-490

राजस्थान के पंचायत राज में महिलाओं का नेतृत्व
''विशेष अध्ययन गोविन्दगढ़ पंचायत समिति''

डॉ. आर. के दुलार*
राजमोहन सोनी**

सार

नेतृत्व एक गतिशील एवं रचनात्मक शक्ति है। प्रजातान्त्रिक संसदीय व्यवस्था तथा सामूहिक प्रयासों की सफलता में नेतृत्व प्रक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान होता है। नेतृत्व अन्य लोगों में किसी सामान्य उद्देश्य का अनुसरण करने की इच्छा जागृत करने की योग्यता है। नवसहस्त्राब्दि एवं महिला सशक्तिकरण के युग में महिला नेतृत्व अधिक विचार–विमर्श का विषय बना हुआ है। देश की आधी आबादी महिलाओं की है, अतः शासन के सभी स्तरों पर पुरूषों के समान भागीदारी होनी चाहिये। परन्तु स्वतन्त्रता के 7 दशक व 12 योजनाओं के बाद भी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित नहीं की जा सकी है। इसकी जमीनी हकीकत का अध्ययन कर प्रभावी ढंग से लागू करने की आवश्यकता है। इस शोध पत्र में पंचायत राज संस्थाओं में आरक्षण से महिला नेतृत्व को बढ़ावा मिला है उसका अध्ययन किया गया है।

परिचय

भारतीय संस्कृति में महिलाओं की भूमिका सदैव ही अत्यन्त महत्वपूर्ण रही है। प्रागैतिहासिक युग में नारी की स्थिति पुरूष के बराबर ही नहीं, उससे भी श्रेष्ठ थी, क्योंकि परिवार मातृसत्तात्मक था। ब्राह्मणकाल के ग्रन्थों में भी ''स्त्री हि ब्रह्मा बभूविव'' यानि उन्हें ब्रह्मा (सृजक) तक कहा गया था। महाकाव्यकाल से भारतीय नारी की स्थिति में गिरावट प्रारम्भ हो गया था, जो मध्यकाल के आते–आते बड़ी ही विकट स्थिति हो गई थी। नवजागरण व स्वतन्त्रताकालीन युग में पुनः नारी उत्थान पर ध्यान केन्द्रित हुआ और स्वतन्त्रता के पश्चात जो युग प्रारम्भ होता है उसे ''नारी प्रगति'' युग कहा गया है। भारतीय नारी अनेक उतार–चढ़ाव के बाद आज फिर संभलने लगी है। अपनी क्षमताओं और सीमाओं की पहचान करते हुए सामंजस्य की राह को आसान बनाने का उपाय भारतीय नारी स्वयं खोज लेगी। एक प्रजातान्त्रिक परिवेश में शासन व प्रशासन व्यवस्था को सफल बनाने के लिए नेतृत्व एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानी जाती है। नेतृत्व का अभिप्राय है– मार्गदर्शन करना, अर्थात् नेतृत्व से तात्पर्य किन्हीं व्यक्तियों के व्यवहार का वह गुण है, जिसके द्वारा वे सामूहिक प्रयास में लोगों या उनकी क्रियाओं का मार्गदर्शन करते हैं। शिमट, आर. के. अनुसार –''नेतृत्व एक व्यक्ति और एक जनसमूह के बीच का ऐसा सम्बन्ध है, जिससे जनसमूह एक सामान्य उद्देश्य को लेकर चलता है और उस स्थिति की सलाह और आदेश के

* सेवानिवृत्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, कालाडेरा, जयपुर, राजस्थान।
** शोधार्थी, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान।

अनुसार आचरण करता है।'' राजनीतिक व्यवस्था में नेतृत्व एक बहुउद्देश्यीय अवधारणा है, जो जनता का पथ प्रदर्शन करती है। जनता का विश्वास एवं समर्थन नेता अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सम्पर्क बनाये रखते हैं तथा शासकीय तन्त्र का भी निर्देशन करते हैं। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में सभी राष्ट्रों में राजनीति, उद्योग, व्यापार–व्यवसाय यहाँ तक की कृषि क्षेत्र में कार्य करने वाली व गृहणियों के भी आत्मनिर्भर व सशक्तिकरण पर बल दिया जा रहा है। प्रस्तुत शोध पत्र में राजस्थान की पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के नेतृत्व विशेष रूप से 2015 के पंचायती चुनाव में महिलाओं के नेतृत्व की भूमिका का अध्ययन किया गया है ताकि महिलाओं के पंचायती राज नेतृत्व के व्यापक पहलुओं का अध्ययन कर भावी नियोजन व नीति निर्माण एवं कानून बनाने में अहम भूमिका अदा की जा सके।

अध्ययन का उद्देश्य व परिकल्पना

(अ) उद्देश्य

- पंचायतीराज व्यवस्था में महिलाओं के नेतृत्व का अध्ययन करना।
- राजस्थान की लोकतान्त्रिक व्यवस्था में महिला के नेतृत्व का विवेचन व विश्लेषण।
- पंचायत व्यवस्था में उभरते नवाचार व नवीन प्रवृतियों को इंगित करना।
- महिलाओं के नेतृत्व सशक्तिकरण में आने वाली समस्याओं एवं चुनौतियों को उजागर कर समाधान करना।

(ब) परिकल्पना

- पंचायत राज व्यवस्था में महलाओं की भागीदारी एवं नेतृत्व से ग्रामीण अर्थव्यवस्था व राजनीति में नवाचार विकास का संचार होगा।
- नेतृत्व से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा जिससे सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संरचना का विकास एवं स्वयं महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक दृष्टि से उन्नयन होगा।

अध्ययन पद्धति

प्रस्तुत शोध पत्र में शोध सर्वेक्षण की दृष्टि से प्राथमिक व द्वितीयक दोनों स्त्रोतों से तथ्यों का संकलन किया गया है। प्राथमिक तथ्यों में गोविन्दगढ़ (जयपुर जिला) पंचायत समिति के वर्ष 2015 के चुनाव में निर्वाचित सरपंच, पंच, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद् महिला सदस्यों में से 50 महिला उत्तरदाताओं का चयन दैव निदर्शन विधि कर प्रश्नावली के माध्यम से तथ्यों का संकलन किया गया है। संकलन के पश्चात् तथ्यों का विश्लेषण व विवेचन तालिका, औसत व प्रतिशत विधि द्वारा किया गया है। द्वितीयक स्त्रोतों में प्रमुख पुस्तकें, पत्र–पत्रिका, सरकारी रिकॉर्ड एवं रिपोर्ट से तथ्यों का संकलन किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र का पारिस्थितिकीय विवेचन

राजस्थान का इतिहास इस बात का साक्ष्य है कि यह वीरभूमि वसुन्धरा प्राचीन काल से ही वीरता (शौर्य), धन एवं सरस्वती का संगम रही है। इसी कारण अध्ययन क्षेत्र के रूप में राजस्थान को चुना गया व विशेष सन्दर्भ के रूप में राज्य की राजधानी जयपुर जिले की ही एक पंचायत समिति गोविन्दगढ़ का चयन सर्वेक्षण अध्ययन के लिए किया गया। पंचायती राज व्यवस्था जो लोकतन्त्र की प्रथम सीढ़ी है, को सशक्त बनाने के लिए कुल जनसंख्या की लगभग आधी शक्ति जो महिलाओं की है, का चयन किया गया है।

संसद व विधानसभा में राजस्थान की महिलाओं का नेतृत्व

प्रारम्भ से ही राजस्थान की महिलाओं की सामाजिक संरचना में आर्थिक, धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि तथा राजनैतिक क्षेत्र में अग्रणी भूमिका रही है। स्वाधीनता संग्राम में राजस्थान की काली बाई, नगेन्द्र बाला व दुर्गा देवी जैसी हजारों महिलाओं ने पुरूषों के साथ कदम से कदम मिलाकर महिला नेतृत्व किया। स्वतन्त्रता के बाद राज्य राजनीति में महिला नेतृत्व का विशेष योगदान नहीं रहा। परन्तु कालान्तर में महिला शिक्षा को बढ़ावा

मिलने के कारण राजनीति क्षेत्र की राह में भी महिलाओं की भूमिका बढ़ती चली गई, जिसका एक परिदृश्य निम्न तालिका में देखा जा सकता है।

तालिका 1: विधानसभा में राजस्थान की महिलाओं का नेतृत्व

वर्ष	1952	1957	1962	1967	1972	1977	1980	1985	1990	1993	1998	2003	2008	2013
राजस्थान विधान सभा में संख्या	02	09	08	07	13	08	09	19	12	10	15	13	28	27
प्रतिशत	1.3	5.1	4.5	3.8	7.1	4.0	4.5	9.5	6.0	5.0	7.5	6.5	14.0	13.5

उपरोक्त तालिकानुसार वर्ष 1952 के प्रथम चुनाव में केवल दो महिला विधायक थी। द्वितीय चुनाव में 9 महिला विधायक चुनकर आयी, परन्तु यह प्रतिनिधित्व सामान्य जनता का न होकर राजनैतिक परिवारों की बहु–बेटियों का था। 1962 व 1967 के चुनाव महिला नेतृत्व प्रतिशत 5.1 से गिरकर क्रमशः 4.5 व 3.8 प्रतिशत ही रह गया। 1972 के आम चुनाव में 7.1 प्रतिशत, 1977 के चुनाव में पुनः 4.0 प्रतिशत, 1980 में बढ़कर 4.5 व 1985 में 9.5 प्रतिशत रहा जो तत्कालीन समय का सबसे अधिक महिला नेतृत्व रहा है। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद उदारवादी दृष्टिकोण का प्रभाव जहाँ आर्थिक क्षेत्र में हुआ, उसके साथ–साथ राजनैतिक क्षेत्र में भी राजनैतिक चेतना का संचार हुआ। इसीलिए 1998 में महिला नेतृत्व 7.5 रहा। यहाँ पहली बार महिला मुख्यमंत्री व महिला विधानसभाध्यक्षा राजस्थान विधायिका को प्रदान किये गये। 2003 में पुनः 6.5 प्रतिशत ही प्रतिनिधित्व रहा। 73वें संविधान संशोधन के उपरान्त राज्य में महिलाओं के नेतृत्व में तीव्र गति से वृद्धि हुई। इसलिए 2008 व 2013 के आम चुनाव में राज्य की विधायिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व क्रमशः 28, 27 अर्थात 14.0 एवं 13.5 प्रतिशत रहा।

राजस्थान की पंचायत राज व्यवस्था में महिलाओं का नेतृत्व

प्रारम्भ से ही राजस्थान की स्वायत्तशासी संस्थाओं में महिलाओं की स्थिति सम्पूर्ण राष्ट्र की तुलना में अत्यन्त खराब व शोचनीय रही है। शिक्षा के अभाव के कारण यहाँ महिलाऐं हर क्षेत्र में पिछड़ी रही हैं। दूसरी ओर राजस्थान के पितृसत्तात्मक समाज में सदियों से नारी को हीन, लड़के–लड़की में भेदभाव, लालन–पालन, खान–पान, शिक्षा–स्वास्थ्य आदि सभी क्षेत्रों में महिलाओं का द्वितीय दर्जे का स्थान रहा है। इसलिए प्रारम्भिक काल में कुछ सम्भ्रान्त परिवारों की महिलाएं ही पंचायत राज संस्थाओं में पहुँच पाती थी। परन्तु 73वें संविधान संशोधन में पंचायत राज व्यवस्था में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया, जिससे राज्य राजनीति में महिलाओं की राजनैतिक भागीदारी में व्यापक वृद्धि हुई है।

गोविन्दगढ़ पंचायत समिति का सर्वेक्षण अध्ययन

राज्य की राजधानी जयपुर जिले की गोविन्दगढ़ पंचायत समिति जो राजधानी क्षेत्र के निकट होने के कारण सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक दृष्टिकोण से आज भी अग्रणी भूमिका निभा रही है। अतः सर्वेक्षण अध्ययन में इस पंचायत समिति को अध्ययन का क्षेत्र बनाया गया। गोविन्दगढ़ पंचायत समिति में 42 ग्राम पंचायत के 42 सरपंच, 244 पंच, 31 पंचायत समिति सदस्य एवं 2 जिला परिषद सदस्य हैं अर्थात् 309 निर्वाचित सदस्य हैं जिनमें से 106 महिला निर्वाचित सदस्य हैं। शोध सर्वेक्षण अध्ययन प्रत्येक ग्राम पंचायत से एक–एक महिला निर्वाचित उत्तरदाता का चयन दैव निदर्शन विधि से करते हुए कुल 42 महिला सदस्यों का चयन किया गया है।

गोविन्दगढ़ पंचायत समिति में निर्वाचित सदस्य

क्र.सं.	सदस्य	संख्या	महिला
1.	सरपंच	42	13
2.	पंच	244	74
3.	पंचायत समिति सदस्य	31	09
4.	जिला परिषद् सदस्य	02	–
	कुल	309	106

स्त्रोतः शोध सर्वेक्षण से तैयार

शोध सर्वेक्षण निष्कर्ष (Finding)

- 53 प्रतिशत निर्वाचित महिला 46 से 65 वर्ष की आयु वर्ग की हैं।
- 67 प्रतिशत प्राथमिक व सैकण्डरी स्तर की शिक्षा प्राप्त है।
- 94 प्रतिशत विवाहित हैं, 6 प्रतिशत अविवाहित व विधवा हैं।
- 72 प्रतिशत संयुक्त परिवारों से सम्बन्धित हैं।
- 96 प्रतिशत गृहणी हैं केवल चार प्रतिशत अपना डेयरी व अन्य व्यवसाय करती हैं।
- 77 प्रतिशत सक्रिय राजनीति परिवारों से सम्बन्धित हैं।
- केवल 38 प्रतिशत को पंचायत राज व्यवस्था की जानकारी हैं।
- केवल 22 प्रतिशत को ही सरपंच, पंच व सदस्यों, प्रधान व जिला प्रमुख के कार्यों की जानकारी हैं।
- महिला आरक्षण की जानकारी सभी को हैं परन्तु संवैधानिक प्रावधान की जानकारी नहीं।
- 18 प्रतिशत महिला नियमित, 62 प्रतिशत सामान्य तौर पर तथा 20 प्रतिशत कभी–कभी बैठकों में भाग लेती हैं।
- 12 प्रतिशत को ही बजट निर्माण, आय–व्यय विवरण, अंकेक्षण व रिपोर्ट तैयार करने की जानकारी है।
- 87 प्रतिशत ने यह स्वीकार किया कि उनके कार्यक्षेत्र में पति व घर के अन्य पुरूष की भागीदारी व हस्तक्षेप होता है।
- 28 प्रतिशत ही राजनीतिक पार्टी की गतिविधियों में भागीदारी निभाती हैं।
- 100 प्रतिशत आरक्षण को सही मानती हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए एवं 36 प्रतिशत ने इसे और बढ़ाने की बात भी कही है।

पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं के आरक्षण से और शोध सर्वेक्षण अध्ययन से जो नवीन प्रवृतियाँ उभर कर सामने आई हैं, वो इस प्रकार हैं :–

- पंचायती राज में महिलाओं के आरक्षण से महिलाओं में राजनीति के प्रति जागरूकता, राजनीतिक सामाजिकरण तथा राजनीतिक संस्कृति में वृद्धि आई है।
- महिला सशक्तिकरण से महिलाओं को मतदाता, उम्मीदवार, प्रतिनिधि, संगठन व समुदायों तथा संस्थाओं में भागीदारी मिलने लगी है।
- महिला नेतृत्व से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास की आधुनिक अवधारणा को बढ़ावा मिला है।
- जेण्डर समानता से संविधान द्वारा प्रदत्त सामाजिक समानता को व्यावहारिक दर्जा मिला है।
- इसके अतिरिक्त आरक्षण एवं नेतृत्व महिलाओं में आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता, आत्मगौरव, स्वावलंबन एवं महत्त्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने का बल मिला है। जिससे समूह भावना, निर्माण–संगठन भावना में रहकर शोषण के विरूद्ध आवाज उठाने की शक्ति का विकास हुआ है।

समस्याएं एवं सुझाव

पंचायती राज संस्थाओं में महिला आरक्षण से महिला का सशक्तिकरण हुआ है परन्तु आज भी इन महिलाओं को अनेक नई–नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है यथा कम शिक्षा, पारिवारिक दबाव, जिम्मेदारी, अनुभवहीनता, आर्थिक निर्धनता, जातिवाद, पुरूषों पर वैचारिक निर्भरता, सामंजस्य का अभाव, नियम, कानून व कार्यप्रणाली की जानकारी का अभाव आदि मुख्य समस्याऐं हैं। इन समस्याओं को दूर करने के लिए सर्वप्रथम बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ को घर–घर तक पहुँचाना होगा। महिला विकास की केन्द्रीय व राज्य सरकारों की योजनाओं का क्रियान्वयन, आर्थिक सुदृढ़ता के लिए व्यवसायिक प्रवृतियों की ओर अग्रसर करना, राजनीतिक दृष्टि से सशक्तिकरण बनाना, राजनीतिक पार्टीयों में अपनी वचनबद्धता के तहत चुनाव व संगठन में पर्याप्त भागीदारी प्रदान करना, राजनीतिक वातावरण में स्वच्छता लाना, पति व घर के पुरूष सदस्यों की निर्भरता को दूर करना आदि सुझावों पर आवश्यक ध्यान देना होगा तभी महिला नेतृत्व में विस्तार को शक्ति मिलेगी एवं

लोकतान्त्रिक प्रक्रिया मजबूत होगी, वहीं समाज के आधे हिस्से (महिलाओं) को अपने विकास व महिला सशक्तिकरण से राष्ट्र व समाज का विकास हो सकेगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- मेहरा, आशा रानी (2001)–भारतीय नारी की दशा और दिशा, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।
- तिवाड़ी, चौधरी (1995) – राजस्थान में पंचायत कानून, ऋचा प्रकाशन, जयपुर।
- देशाई नीरज एण्ड उषा ठाकुर (2002) – वूमन इन इण्डियन सोसायटी, नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली।
- महीपाल (2003) – पंचायती राज : अतीत, वर्तमान और भविष्य सारांश प्रकाशन, नई दिल्ली।
- सुशीला कौशिक (1998) – वीयन पंच इन पोजीशन : द स्टडी ऑफ पंचायतराज इन हरियाणा, सेंटर फॉर डवलपमेन्ट स्टडी, नई दिल्ली।
- सुजस वार्षिकी, सूचना जन सम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
- शशि अरोड़ा (1981)–राजस्थान में नारी की स्थिति, तरूण प्रकाशन, बीकानेर।

♦❐♦